कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2116/एसएलएसए–68/25 (शुभ/कुलदीप) दिनांकित 08.07.2026 के अनुपालन में जनपद अम्बेडकरनगर में कम्यूनिटी मीडियेटर का चयन किया जाना प्रस्तावित है। एतद् द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुये उन्हें सूचित किया जाता है कि कम्यूनिटी मीडियेटर के चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 13.07.2026 को समय 12:00 बजे ए0डी0आर0 भवन, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में नियत है।

धारा 43(5) मीडियेशन एक्ट 2023 के अनुसार निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति कम्यूनिटी मीडियेटर के रूप में शामिल किये जा सकते हैं।

1. समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति।
2. कोई भी स्थानीय व्यक्ति जिसका समाज में योगदान मान्यता प्राप्त हो।
3. क्षेत्रीय या निवासी कल्याण संघो के प्रतिनिधि।
4. मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
5. कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाये।

उपयुक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षणिक एवं अनुभव प्रपत्रों के साथ समय अपरान्ह 02:00 बजे उपरोक्त वर्णित स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहे।

(नीलम वर्मा)
सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः 313 दिनांक 10 जुलाई, 2026
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट एवं जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

सचिव (पूर्णकालिक),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अम्बेडकरनगर।